

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2023/816

भिलाई, दिनांक 24/8/23

//आदेश//

पूर्व जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यालयीन व्यवस्था के सुचारु रूप से संपादन हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शित कॉलम 05 में उल्लेखित विभाग में स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है :-

क्रं.	कर्मचारियों का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना विभाग	नवीन पदस्थापना विभाग
1	2	3	4	5
1	श्री एस.साबुलु	स्वच्छता पर्यवेक्षक	राजस्व विभाग	योजना विभाग
2	श्रीमती नीतिलता विश्वकर्मा	पम्प सहायक	जनसूचना विभाग	काउन्टर शाखा
3	श्रीमती शशिकांता तोमर	पम्प सहायक	काउन्टर शाखा	जनसूचना विभाग
4	श्रीमती ज्योति मसीह	भृत्य	भवन संधारण विभाग	जनगणना/खाद्य विभाग
5	श्री व्यास कुमार उमरे	हेल्पर/क्लीनर	जोन क्रमांक 05	जोन क्रमांक 01
6	श्री विनोद यादव	फिल्ड वर्कर	जोन क्रमांक 01	जोन क्रमांक 05
7	श्रीमती अमरीका बाई	सफाई कामगार	स्टेनो टू आयुक्त कक्ष	भवन संधारण विभाग
8	श्री गोपाल यादव	प्रोसेस सर्वर	उद्यान विभाग	वर्तमान कार्यों के साथ-साथ सिटी बस विभाग

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम

भिलाई

भिलाई, दिनांक 24/8/23

पृ.क्र./एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2023/817

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता 1/2/3/4/5, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

क्रमश.....

4. कार्यपालन अभियंता भवन संधारण/उद्यान, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1/5, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी/राजस्व अधिकारी/जनसूचना अधिकारी नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. नोडल अधिकारी जनगणना/खाद्य, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी अधिकारी योजना/प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
11. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
12. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती.....नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई